न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम

–सह–

<u>विशेष न्यायाधीश (जेल कोर्ट), सिवान</u>

<u>सत्र वाद सं0–201/2018</u>

<u>08.07.2021</u> न्यायालय की कार्यवाही virtual mode में संचालित हुआ।

अभिलेख में आज तिथि निर्धारित है। कार्यालय से अभिलेख प्रस्तुत हुआ।

अभियोजन पक्ष की हाजिरी दी गई है। विशेष लोक अभियोजक श्री जय प्रकाश सिंह एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री अभय कुमार राजन को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि इस वाद में दस अभियुक्त विचारण का सामना कर रहे हैं, जिसमें से एक अभियुक्त मो0 शहाबुद्दीन की मृत्यु दिनांक 01.05.2021 को हो गई है। अतः इसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त की जाए।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री अभय कुमार राजन का कथन है कि वाद के एक अभियुक्त मो0 शहाबुद्दीन की मृत्यु दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, हरिनगर, नई दिल्ली में दिनांक 01.05.2021 को हो गई है, इसलिए इनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही को समाप्त किया जाए।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर काराधीक्षक मंडल कारा सिवान का पत्रांक–कारा/प्र.01–02/21–1456 दिनांक 01.05.2021 उपलब्ध है, जिसके अनुसार मो0 शहाबुद्दीन की मृत्यु दिनांक 01.05.2021 को होना बताया गया है साथ ही उपाधीक्षक, केन्द्रीय कारा, तिहाड़ जेल नं0–02, नई दिल्ली का wireless message दिनांक 01.05.2021 की प्रति उपलब्ध है, जिसके अनुसार मो0 शहाबुद्दीन की मृत्यु दिनांक 01.05.2021 को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, हरिनगर, नई दिल्ली में होना बताया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए कि प्रश्नगत सत्र वाद सं0 201/2018 के एक अभियुक्त मो0 शहाबुद्दीन की मृत्यु दिनांक 01.05.2021 को हो गयी है, अतः अभियुक्त मो0 शहाबुद्दीन के विरूद्ध वाद की अग्रिम कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। अब यह सत्र वाद शेष 09 अभियुक्तों के विरूद्ध चलेगा। वाद दिनांक 24.07.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

ह0/–

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान

–सह–

विशेष न्यायाधीश जेल कोर्ट, सिवान